बदरी उर्फ बद्री बनाम अजीता वगै0 (प्रा.पत्र)
मु.नं. 151/2021

04.12.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पाटोली तहसील महवा की आराजी खसरा नं. 145/0.05, 146/0.20, 148/0.04, 198/0.10, 392/0.10, 393/0.10, 398/0.18, 428/0.19, 48/0.21, 49/0.19, 681/0.18, 682/0.19, 683/0.11, 684/0.05, 686/0.34 कुल किता 15 रकबा 2.23 हैक्टेयर में सायल का 1/4 भाग है। सभी हिस्सेदारों ने बाहमी रूप से बांट रखा है तथा काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण आये दिन डोल मेड तोडते रहते है तथा सायल के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहते है। प्रार्थी द्वारा कानूनी तकास्मा के लिए कहने पर इन्कार कर दिया और धमकी देने लगे की तेरे खेतो का लटठ के बल पर जबरन कब्जा करेंगे। से विवाद उत्पन्न हुआ है। प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुए। अप्रार्थी अधिवक्तागणों द्वारा जबाव पेश किया गया। जबाव में प्रार्थी स्वयं के हिस्से से अधिक हिस्से पर काबिज होना बताया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2071–74 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी उभय की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थी प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर सकता है जिससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम पाटोली तहसील महवा की आराजी खसरा नं. 145/0.05, 146/0.20, 148/0.04, 198/0.10, 392/0.10, 393/0.10, 398/0.18, 428/0.19, 48/0.21, 49/0.19, 681/0.18, 682/0.19, 683/0.11, 684/0.05, 686/0.34 कुल किता 15 रकबा 2.23 हैक्टेयर में प्रार्थी के हिस्सा तक मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा
उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)